

फ़ाइल संख्या : जेड-11017/35/2020-डीडी-1

भारत सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

5वीं मंजिल, पं. दीन दयाल अंत्योदय भवन,

सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली -110 003

दिनांक: 07.03.2024

सेवा में,  
सभी कार्यान्वयन एजेंसियां

**विषय : -अर्जुन पोर्टल पर सहायक यंत्रों और उपकरणों के साथ लाभार्थियों की तस्वीरें/वीडियो अपलोड करना।**

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय के संदर्भ में यह कहने का निर्देश हुआ है कि एडिप योजना के कार्यान्वयन में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा की जाने वाली मुख्यालय गतिविधि के अंतर्गत वितरित किये गए सहायक यंत्रों और उपकरणों के साथ लाभार्थी की तस्वीर खींचा जाना अनिवार्य है।

2. इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों से उनकी फ़ीडबैक प्राप्त करने और एडिप योजना के बारे में जागरूकता सृजन करने के लिए मुख्यालय गतिविधि के अंतर्गत अर्जुन पोर्टल पर सहायक यंत्रों और उपकरणों साथ लाभार्थी की अधिकतम 15-20 सेकंड की एक छोटी क्लिप बनाई जाए। उक्त वीडियो में, लाभार्थी किसी भी भाषा में निम्नलिखित बताएंगे : -

"मैं ... (नाम), .....(पता) का निवासी हूँ और मुझे भारत सरकार की एडिप योजना के तहत ... (सहायक यंत्र /उपकरण का नाम) प्राप्त हुआ है। मुझे प्रदान किये गए सहायक यंत्रों और उपकरणों से मैं संतुष्ट/असंतुष्ट हूँ।"

3. सभी कार्यान्वयन एजेंसियां मुख्यालय गतिविधि के लिए उपरोक्त निर्देशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन करेंगी। हालाँकि, शिविर गतिविधि के लिए यह अर्जुन पोर्टल पर अपलोड करना वैकल्पिक होगा, जहां तक संभव हो सभी कार्यान्वयन एजेंसियां तस्वीरें/वीडियो बनाए और यह अर्जुन पोर्टल पर अपलोड करे।

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय

( संदीप कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

ई-मेल आईडी:- sandeepkumar.rth@nic.in

adipsection-depwd@gov.in

टेलीफ़ोन नंबर :- 011-2436 9027

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. सीएमडी, एलिम्को :- उपरोक्त निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु अर्जुन पोर्टल पर आवश्यक संशोधन करने के अनुरोध सहित।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव

2. संयुक्त सचिव (आरवाई) के प्रधान निजी सचिव